This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 17 अक्तूबर, 2014 / 25 आश्विन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 अक्तूबर, 2014

संख्या मुद्रण (बी) 10–21 / 2010.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में **अनुभागपाल (मुद्रण), वर्ग–III** (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल, (मुद्रण) वर्ग–III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या मुद्रण (बी) 2–23/96 तारीख 12–8–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग अग्रणी (मुद्रण), वर्ग–III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (मुद्रण), वर्ग–III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**——अनुभागपाल (मुद्रण)

2. **पद (पदों)की संख्या.**——02 (दो)

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग–III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान : (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.**——पे बैंड : 10300–34800/– रूपए जमा 3200/– रूपए ग्रेड पे।

   (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.——13,500/– रूपए प्रतिमास। (स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.**——अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत्त अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमो / स्वायत्त निकायों में आमले न से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमो / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : (क) अनिवार्य अर्हता(एं).––(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड / संस्थान से दस जमा दो पास या इसके समतुल्य ।

(ii) किसी औद्योगिक प्रक्षिशण संस्थान या केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त, संस्थान से मुद्रण के ट्रेड में दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड / प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र।

या

किसी सरकारी मुद्रणालय / आई0एस0ओ0 प्रमाणित प्राईवेट मुद्रणालय से पर्यवेक्षक की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं).––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं : आयु.––लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.––लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) और कम्पयूटर (मुद्रण) / मशीनमैन का संयुक्ततः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ

सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें सहायक अनुभागपाल (मुद्रण) के रूप में दो वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए :

प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नयमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग / पद / संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.——अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.——जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, या यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :–

(1) संकल्पना.——(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (मुद्रण), को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.——नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) संविदात्मक उपलब्धियां.——संविदा के आधार पर नियुक्त अनुभागपाल (मुद्रण), को 13,500/– रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/– रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).——नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(4) चयन प्रक्रिया.——संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(5) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.——जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(6) करार.——अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(7) निबन्धन और शर्तें.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,500/– रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम 405/– रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।ः

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य(ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी । परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

अनुभागपाल (मुद्रण), और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति.. पुत्र / पुत्री श्री.. निवासी...............................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **प्रथम पक्षकार** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **द्वितीय पक्षकार** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ....को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **अनुभागपाल (मुद्रण),** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि **प्रथम पक्षकार अनुभागपाल (मुद्रण),** के रूप में. .... से प्रारम्भ होने और......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.....................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सचू ना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम 13500 / — रूपए प्रति मास होगी ।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण, ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक अनुभागपाल (मुद्रण), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश तथा 5 दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा / होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त अनुभागपाल (मुद्रण), को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

   परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संवदि पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी। परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा:

   तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए सविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

   परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण—पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :–

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :–

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran (B)*10-21/2010 *dated* 13-10-2014 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 13th *October,* 2014

No: Mudran (B)10-21 / 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the

Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Section Holder(Printing), Class-III (Non-Gazetted), (Non Ministerial Services),** in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Section Holder (Printing), Class-III (Non Gazetted)(Non-Ministerial Services)**Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Section Holder (Printing) Class-III, (Non–Gazetted) (Non Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* this department Notification No: Mudran (B)2-23/96 Dated 12-8-1997 are hereby repealed .

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
(MANISHA NANDA),
Pr. Secretary (P&S).

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION HOLDER (PRINTING) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.— Section Holder (Printing).

2. Number of Post(s).— 02(Two).

3. Classification.— Class-III(Non-Gazetted) (Non–Ministerial-Services).

4. Scale of Pay.— (*i*) Pay Scale for regular incumbents Pay Band : Rs.10300-34800+ Rs. 3200 Grade Pay .

(*ii*) Emoluments for contract employees :
Rs. 13,500 /- P.M. (as per details given in Col.15-A).

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies, who are/were subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualification(s) required for direct recruit (s).— *(a) Essential Qualification(s).*—(*i*) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/Institution.

(*ii*) Two years National Trade/Apprenticeship Certificate in the trade of Printing from an I.T.I or from an Institution duly recognized by the Central / State Government.

OR

Three years experience in supervisory capacity from a Government Press/ ISO certified Private Printing Press.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age :* Not applicable

Educational Qualification :—Not Applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis

as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Section Holder (Printing) who possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade, failing which by promotion from amongst the Assistant Section Holder (Printing) who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any as Assistant Section Holder (Printing) and Computer (Printing)/Machineman combined, out of which 2 years essential service must be as Assistant Section Holder (Printing)

For the purposes of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-seseniority, shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection and in accordance with the provision of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis,followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc.of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Section Holder (Printing)** in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB :—The Controller, Printing & Stationery Department , after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The **Section Holder (Printing)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13,500/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of Rs.405/- (3% of the minimum of pay band +grade pay) as annual increase in contractual moluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Services Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure –B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13,500 per month(which shall be equal to minimum of pay band+Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.405/-(3% of minimum of the Pay band +Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, leads to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR,leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Classes/Scheduled Tribes other Backward Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with

the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Section Holder (Printing) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery. ----H.P.

This agreement is made on this………………..day of………….. in the Year ……….……………….Between…………Sh/Smt.…………….S/o/D/o Shri …………………… R/o …… …… ……… … Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Section Holder (Printing)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Section Holder (Printing)** for a period of one year commencing on day of ----------------and ending on the day of ……..………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on ---------------- And information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs. 13500**/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good ,or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Section Holder (Printing)** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 day's medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual **Section Holder (Printing).**

   Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond

his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………
   ………………………………
   ………………………………
   (Name and full Address)

2. ……………………………
   ………………………………
   ………………………………
   (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………
   ……………………………
   ……………………………
   (Name and full Address)

2. …………………………
   ……………………………
   ……………………………
   (Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, *the* 10th *October,* 2014

No. EDN-A-Ka(7)-2/2013-pt.—In continuation of this department notification of even number dated 22nd Septemb014 and 26th er, 2September, 2014 and Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order to order as under:—

1. **The Secretary to the Committee will now be Additional Director (H.E.), Mr. R.K. Purthi, HAS.**

2. **The Directorate of Higher Education will provide Secretariat Assistance including vehicles to the Committee.**

3. **Shri Anil Kapil, Chief General Manager, H.P. Infrastructure Development Board, will assist the Committee as financial expert.**

By order,
Sd/-
Pr. Secretary(Hr.Edu.).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

CORRIDENDUM

Shimla-02, *the* 15th *October,* 2014

No. EDN-A-Ka(7)-2/2013-pt.—The name of Additional Director (H.E.), appeared as **"Mr. R.K. Purthi, HAS"** at Sr. No. 1 of this department notification of even number dated 10th October, 2014, be read as **"Mr. R.K. Pruthi, HAS".**

By order,
Sd/-
Principal Secretary(Education).

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 1st *October,* 2014

No:FDS-F(6)3/2010.—In supersession of this Department Notification number FDS F(6)1/2002-III-Loose dated 17th July, 2006, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to reconstitute the State Level Vigilance Committee for ensuring transparency and proper functioning of the Targeted Public Distribution System in the State and in compliance of the section 29 (1) of

the National Food Security Act, 2013, to also perform the functions as envisaged under Section 8 of the Public Distribution (Control) Order, 2001 with immediate effect consisting of the following members:—

1.	Hon'ble Minister, Food Civil Supplies & Consumer Affairs, HP.	*Chairperson*
2.	Principal Secretary (Food Civil Supplies & Consumer Affairs)	*Official Member*
3.	Principal Secretary (Health)	-do-
4.	Principal Secretary (Education)	-do-
5.	Principal Secretary (Panchayati Raj)	-do-
6.	Principal Secretary (Social Justice and Empowerment)	-do-
7.	Registrar Cooperative Societies	-do-
8.	Managing Director, HP State Civil Supplies Corporation Ltd.	-do-
9.	Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.	*Member Secretary*
10.	Sh. Girdhar Gopal Sharma, VPO & Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra Non-official Member	*Non-officical Member*
11.	Sh. Puneet Khosla S/o Sh. Ved Khosla, Ward No. 1, Nagrota Bagwan, Distt. Kangra –do-	-do-
12.	Sh. Sanjeev Malhotra S/o Late Sh. J.P. Malhotra R/o Vill. Ohni, PO Karloti, Teh. Ghumarwin, District Bilaspur.	-do-
13.	Sh. Ashok Aggarwal, Mohalla Upper Julakhri, Chamba,	-do-
14.	Sh. Rajesh Thakur, Up Pradhan, G.P. Tapri, Vill. Gabla, PO Thana Bajuri, Distt. Hamirpur	-do-
15.	Capt. Gurcharan, Ex-Pradhan, VPO Morth Jassai, The. Baroh, Distt. Kangra.	-do-
16.	Smt. Urmil Rana, VPO Balol, The. Baroh, Distt. Kangra	-do-
17.	Smt. Rooma Kaundal, Ex-Zila Parishad Member Jawalamukhi, Vill. Katialu, PO Doga, Dehrian, Teh. Jawalamukhi, Distt. Kangra.	-do-
18.	Sh. Puran Negi, VPO Charang, Teh. Moorang, Distt. Kinnaur.	-do-
19.	Sh. Nihal Singh Thakur, Vill. Mansari, PO Haripur, Teh. Manali, Distt. Kullu.	-do-
20.	Sh. Pamma Ram S/o Sh. Kunga Vill. Biling, PO Keylong, Lahaul Spiti.	-do-
21.	Sh. Ashok Gupta, House NO. 295/5, Ganpati Road, Mandi, Distt. Mandi.	-do-
22.	Sh. Gaurab S/o Sh. Sohan Lal, Ex-Mayor, R/o Near Govt. Sr. Sec. School (Boys), Lalpani, Shimla.	-do-

23. Sh. Dalip Singh Chauhan, R/o VPO Ronhat, Teh. Shillai, Distt. Sirmour. -do-

24. Sh. Sajid Ali S/o Sh. Gulam Sabir, Hindustani Masjid, Adat Bazar, Subathu, Teh. & Distt. Solan. -do-

25. Sh. Ravinder Pathak, Retd., Principal, VPO Ispur, Distt. Una, H.P.

The State Level Vigilance Committee shall perform the following functions:

1. Regularly supervise the implementation of all schemes under National Food Security Act; 2013.

2. Take all necessary steps to ensure the effective implementation of the Act.

3. Recommend to the Central Government any improvements for furtherance of the objective of the Act.

The Committee shall meet at least once in a quarter.

By order,
K. SANJAY MURTHY,
Principal Secretary (FCS&CA).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 अक्तूबर, 2014

संख्यापी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ–(5) 32/2013.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव गोल जमाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग–21ए पिन्जौर–बद्दी–नालागढ–स्वारघाट को चौडा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	गोल जमाला	1/1	0–14
			1016/5/1	0–3
			1015/5/1	0–1
			1014/5/1	0–2

6/1	0—3
992/7/1	0—2
993/7/1	0—3
8/1	0—7
10/1	0—16
11/1	1—6
17/1	0—2
21/1	0—11
22/1	0—4
1023/89/2/4/1	0—2
1022/89/1	0—1
1021/89/1	0—1
1020/89/1	0—2
90/1	0—4
91/2/1	0—3
91/1	0—1
99/1	0—2
741/148	0—6
143/1	0—1
737/143	0—3
129/1	0—4
746/151	0—3
748/152/1	0—3
1076/995/750/153/1	0—1
1075/995/750/153/1	0—1
1074/995/750/153	0—1
994/750/153	0—2
998/752/154/1	0—2
996/752/154/1	0—1
997/752/154/1	0—2
754/157/1	0—13
756/168/1	0—3
1026/169	0—1
1027/169	0—1
986/811/201/1	0—2
987/811/201/1	0—3
883/202/1	0—3
882/202/1	0—1
881/202/1	0—0—10
880/202/1	0—1
879/202/1	0—1
912/762/204/1	0—6
764/206/1	0—9
1078/1003/768/207/1	0—4

	766 / 206 / 1	0—1
	774 / 217 / 1	0—5
	1068 / 772 / 216 / 1	0—2
	1069 / 772 / 216 / 1	0—4
	770 / 209 / 1	0—12
	किताः 59	**13—17—10**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

————————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 16 अक्तूबर, 2014

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)28 / 2011.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मस्याणी, उप—तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी में ऊना—अघार—जाहू—कलखर—नैर चौक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा—11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू.—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता हैं !

विवरणी

जिला	उप—तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र है0 में
मण्डी	बलद्वाडा	मस्याणी	2251 / 191 / 1 / 1	0—00—80
		कुल जोड . .	**किता—1**	**0—00—80**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 17 अक्तूबर, 2014

संख्या ई.एक्स.एन–एफ(10)–23 / 2014.——हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची–'घ' में संशोधन कार्यान्वित करने से सम्बन्धित अधिसूचना को तद्द्वारा इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(यों) से इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप / सुझाव आमंत्रित करने के लिए इस विभाग की समसख्यांक अधिसूचना तारीख 16–09–2014 द्वारा अधिसूचित किया गया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 17–09–2014 को प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों / सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और उन्हें अनुचित पाया गया इसलिए उन्हें अस्वीकृत किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–'घ' में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

संशोधन

"हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची–'घ' में मद संख्या 1, मोटर स्पिरिट (विमानन ट्रबाइन ईंधन सहित पेट्रोल तथा डीजल) के नीचे क्रम संख्या 1 के सामने दर्शाई गई वस्तु की स्तम्भ संख्या 3 में विद्यमान "25%" अंक और चिन्ह के स्थान पर "27%" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।"।

यह संशोधन दिनांक 18–10–2014 से प्रभावी होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F*(10)-23/2014 *dated* 17/10/2014 *required under Clause*(3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th October, 2014

No.EXN-F(10)-23/2014.—Whereas the notification regarding carrying out amendments in Schedule 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act,2005(Act No.12 of 2005), was notified for inviting objections(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby within a period of 10 days from the date of its publication in Rajpatra, Himachal Pradesh, vide this Department's Notification of even number dated 16.09.2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 17/09/2014;

And whereas objections/suggestions received within the stipulated period were duly considered and found un-justifiable hence rejected.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act,2005(Act No.12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to carry out the following amendments in Schedule- 'D' appended to Act ibid, namely:—

AMENDMENT

"In Schedule 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act,2005, in column No. 3 of the commodity shown against serial number 1 below item No.1, Motor-spirit (Petrol including Aviation Turbine Fuel and Diesel) for the existing figures and signs "25%", the figures and signs "27%" shall be substituted.".

This amendment shall be effective from 18-10-2014.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नी स्व0 श्री लगन दास, गांव थाचवा, ग्राम पंचायत तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नी स्व0 श्री लगन दास, गांव थाचवा, ग्राम पंचायत तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री कुमारी नेहा का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं कर सकी हूं और उसकी पुत्री कुमारी नेहा का जन्म 25—6—2003 में हुआ है, जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायला ने ग्राम पंचायत तूनन में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी नेहा पुत्री श्री लगन दास का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30—10—2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत तूनन को नाम व जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 25—9—2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री सेजू राम पुत्र श्री गेती राम, निवासी शावणू, फाटी शोहच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

इस कार्यालय में श्री सेजू राम पुत्र श्री गेती राम, निवासी शावणू, फाटी शोहच, ग्राम पंचायत अरसू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके तुखम से पुत्र श्री दिनेश कुमार का जन्म हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका है और उसके पुत्र का जन्म 27—5—2004 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत अरसू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को दिनेश कुमार पुत्र श्री सेजू राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अरसू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30—10—2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अरसू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत अरसू को नाम व जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 6—9—2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री मूल राज पुत्र श्री राम चन्द, गांव जूणी, फाटी शोहच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री मूल राज पुत्र श्री राम चन्द, गांव जूणी, फाटी शोहच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके तुखम से

एक पुत्री मनीषा का जन्म हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका हूं और उसकी पुत्री का जन्म 5—2—2002 को हुआ है। जिस विषय में उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत अरसू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मनीषा पुत्री श्री मूल राज का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अरसू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30—10—2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत अरसू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत अरसू को नाम व जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 5—9—2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

———————

ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

तारीख पेशी : 25—10—2014

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मंगत राम, निवासी अलवाह, फाटी सराज, कोठी फतेहपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र दुवेश राणा का जन्म 11—10—2011 को हुआ है, जो कि ग्राम पंचायत सराज के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र दुवेश राणा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराज के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 25—10—2014 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25—9—2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 31 / 2014 तारीख मरजुआ : 27–9–2014 तारीख पेशी : 30–10–2014

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री लखू राम, गांव पतरैण, डाकघर गंगोटी, तहसील लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री लखू राम, गांव पतरैण, डाकघर गंगोटी, तहसील लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती व अपने पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल पतरैण में करने हेतु आवेदन–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीश चन्द व पिता का वास्तविक नाम लखू राम है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड व ग्राम पंचायत अभिलेख उपरीधार में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल पतरैण में जगू व पिता का नाम लखू गलत दर्ज हो चुका है। प्रार्थी अपने नाम व अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल पतरैण में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल पतरैण में दरुस्ती करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम की दरूस्ती राजस्व अभिलेख महाल पतरैण में जगू के स्थान पर जगदीश चन्द व पिता का नाम लखू के स्थान पर लखू राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30–10–2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27–9–2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 32 / 2014 तारीख मरजुआ : 27–9–2014 तारीख पेशी : 30–10–2014

श्री महेन्द्र पाल भारद्वाज पुत्र श्री सन्त राम, गांव बन्नादर, डाकघर भड़ोल, तहसील लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री महेन्द्र पाल भारद्वाज पुत्र श्री सन्त राम, गांव बन्नादर, डाकघर भड़ोल, तहसील लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख ममाण बन्नादर में करने हेतु आवेदन–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्र पाल भारद्वाज है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड व ग्राम पंचायत अभिलेख ममाण बन्नादर व सेवा अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल ममाण बन्नादर में महेन्द्र पाल गलत दर्ज हो चुका है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल ममाण बन्नादर में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल ममाण बन्नादर में दरुस्ती करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरूस्ती राजस्व अभिलेख महाल ममाण बन्नादर में महेन्द्र पाल के स्थान पर महेन्द्र पाल भारद्वाज दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30–10–2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27–9–2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री निहाल सिंह पुत्र श्री राम दास गुलेरिया, निवासी महाल देवगढ़, डाकघर चोलंगढ, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थी श्री निहाल सिंह पुत्र श्री राम दास, निवासी देवगढ़ ने शपथ–पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम राम दास है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल देवगढ़ में प्रार्थी के पिता का नाम दास दर्ज कागजात माल है। इसे दरुस्त करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर–एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24–10–2014 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30–9–2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री बलदेव राज गुलेरिया पुत्र श्री राम दास गुलेरिया, निवासी महाल देवगढ़, डाकघर चोलंगढ, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थी श्री बलदेव राज गुलेरिया पुत्र श्री राम दास, निवासी देवगढ़ ने शपथ–पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम बलदेव राज गुलेरिया है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल देवगढ़ में प्रार्थी का नाम बलदेव सिंह दर्ज कागजात माल है। इसे दरुस्त करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर–एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24–10–2014 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30–9–2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 31 / 2014

श्रीमती प्यारी देवी बनाम ठाकर दास आदि।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954.

श्रीमती प्यारी देवी पत्नी स्व0 श्री हुकम राम, निवासी थाटा, उप–तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी ने खाता खतौनी नम्बर 158 / 230–231, कित्ता 15, रकबा तादादी 5–13–18 बीघा, वाक्या महाल थाटा की तकसीम का मुकद्दमा दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी सर्वश्री प्रिमू, शयामू पुत्रगण मंगलू, निवासीगण थाटा में नहीं रहते हैं जिस कारण उक्त प्रतिवादियों की तामील नहीं हो रही है।

अतः उक्त प्रतिवादियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 28—10—2014 को न्यायालय में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें। उक्त तारीख के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29—9—2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है